झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | **पंचदश (बजट) सत्र**

संख्या-05 | **सोमवार, दिनांक-28 जनवरी, 2019 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.15 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध चर्चायें:-

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही सम्पूर्ण विपक्षी सदस्य अपने-अपने स्थान पर स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर खड़े होकर छठी जे.पी.एस.सी. की परीक्षा को स्थगित करने की माँग करने लगे तत्पश्चात् आसन के निदेश से माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन वर्त्तमान में आहूत छठी जे.पी.एस.सी. की परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं खामियों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे तत्काल स्थगित किये जाने हेतु नियमन देने की माँग करने लगे जिसपर माननीय सदस्य, सर्वश्री निर्भय कुमार शाहाबादी, सुखदेव भगत, भानू प्रताप शाही, बादल, राधाकृष्ण किशोर, राज कुमार यादव एवं श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० ने भी अपना समर्थन देते हुए **''बाउरी समिति''** के प्रतिवेदन को सदन में रखने हेतु माँग की तथा जे.पी.एस.सी. के कारनामों पर उनके द्वारा भारी चिन्ता व्यक्त की गयी।

2.आसन से नियमन:-

सदन में लगातार जे.पी.एस.सी. के मामले को उठाये जाने पर आसन द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी तथा इसपर सदन में गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता बतायी तदुपरांत सरकार से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने हेतु निदेश दिया गया। इसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए न्यायालय द्वारा जे.पी.एस.सी. के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय से सदन को अवगत कराया।

(भारी शोरगुल)

3.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव द्वारा जे.पी.एस.सी. की खामियों तथा डॉ० इरफान अंसारी द्वारा सरना धर्म कोर्ड को लागू किये जाने सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया।

(भारी शोरगुल)

इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं माले के माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे तथा छठी जे.पी.एस.सी. परीक्षा को स्थगित किये जाने की माँग पर डट गये, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.38 बजे पूर्वा० से 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

4.आसन से सूचना:-

सभा सचिवालय की ओर से विधान सभा परिसर में भोजनावकाश के समय **(1.00 बजे अप० से 2.00 बजे अप० तक)** आयोजित सुरूचिपूर्ण भोज में सभी माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों को सम्मिलित होने हेतु आसन द्वारा साग्रह संसूचित किया गया।

इस अवसर पर पूर्व की माँगों को लेकर विपक्ष के माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर पुनः शनैः-शनैः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

आसन के निदेश से श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय प्रभारी मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2002 की धारा-14 में निहित शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त वित्तीय वर्ष-2016-17 अवधि 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

(इस अवसर पर प्रायः विपक्ष के सभी माननीय सदस्य पूर्व की भाँति सदन की वेल में आकर नारेबाजी करते हुए छठी जे.पी.एस.सी. की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की माँग करने लगे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.05 बजे अप० से लेकर भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गयी।)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

6.वित्तीय कार्य:-

वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद में भाग लिये जाने के निमित्त सभी दलों के लिये समय आवंटन की घोषणा आसन द्वारा की गयी, लेकिन माननीय विपक्ष के सदस्य अपनी पूर्व की माँगों को लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, कुछ माननीय सदस्य धरने पर भी बैठ गये जिससे सदन में अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया तथा भारी शोरगुल होने लगा। अतएव सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-29 जनवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

राँची,
दिनांक- 28 जनवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

—X—X—